


उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1725/सत्तर-1-2020-16(17)/2020
लखनऊ : दिनांक : 15 अक्टूबर, 2020

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2020) के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधायी अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-1568/79-वि-1-20-1(क)-37-20 दिनांक 31 अगस्त, 2020 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त/कार्मिक, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- अपर मुख्य सचिव, मा0 कुलाधिपति, राजभवन, उ0प्र0।
- 5- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
- 6- सचिव, एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज, फिरोजशाह कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002
- 7- सदस्य सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू, उर्दूघर मार्ग, नई दिल्ली-110002
- 8- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 9- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
- 10- कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 11- कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 12- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 13- अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को अधिसूचना परिचालित करने का कष्ट करें।
- 14- निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 15- निजी सचिव, उप मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 16- समस्त अधिकारी/अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
उप सचिव।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1568/79-वि-1-201(क)-37-20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 2020 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की अनुसूची का संशोधन	2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की अनुसूची में क्रम संख्या 1 और 3 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-	
	"1-लखनऊ विश्वविद्यालय	हरदोई, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और रायबरेली जिले।
	3-छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर	औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव जिले।"

उद्देश्य और कारण

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित राज्य विश्वविद्यालय हैं। लखनऊ, लखनऊ मण्डल का एकमात्र ऐसा जिला है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आता है जबकि लखनऊ मण्डल के शेष जिले, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या 160 है जबकि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या 950 है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की विस्तृत क्षेत्रीय अधिकारिता होने के कारण सुदूरवर्ती जिलों में रहने वाले छात्रों को भौतिक दूरी अधिक होने के कारण उच्च अध्ययन प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या में भिन्नता होने के कारण दोनों विश्वविद्यालयों की आय में भिन्नता है। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ सदैव अभाव में रहता है और वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकार पर निर्भर है, जबकि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर स्वावलम्बी है। अतएव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की क्षेत्रीय अधिकारिता को बढ़ाये जाने और इस प्रकार छात्रों की कठिनाइयों को कम करने तथा उसे स्वावलम्बी बनाने हेतु उक्त अधिनियम को संशोधित किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, 'उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020,' पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1568(2)/LXXIX-V-1-20-1(ka)-37-20

Dated Lucknow, August 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Uchcha Shiksha Anubhag-1, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT)

ACT, 2020

(U.P. ACT No. 29 of 2020)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|--|---|
| 1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 2020. | Short title |
| 2. In the Schedule to the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 for the entries appearing Serial no. 1 and 3 the following entries shall be substituted namely :- | Amendment of the Schedule to the Presidents Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974 |
| "1. The University of Lucknow | Districts of Hardoi, Lucknow, Lakhimpur Kheri, Sitapur and Rae Bareilly. |
| 3. Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur | Districts of Auraiya, Etawah, Farrukhabad, Kannauj, Kanpur Dehat, Kanpur Nagar and Unnao." |

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

University of Lucknow, Lucknow and Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur are State Universities established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973. Lucknow is the only district of Lucknow Division which falls under the territorial jurisdiction of University of Lucknow, Lucknow while rest of the districts of Lucknow Division fall under the territorial jurisdiction of Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur. The number of colleges affiliated to University of Lucknow, Lucknow is 160 while the number of colleges affiliated to Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur is 950. Due to the extensive territorial Jurisdiction of Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur students residing in far-off districts have to face a lot of difficulties in pursuing higher studies due to the increased physical distance. Also, the income of the two universities varies according to the number of affiliated colleges. University of Lucknow, Lucknow is always in deficit and is dependent on the State Government for financial assistance while Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur is self sufficient. It has, therefore, been decided to amend the said Act to increase the territorial jurisdiction of University of Lucknow, Lucknow thereby reducing difficulties being faced by students, and at the same time making it a self-sufficient University.

The Uttar Pradesh State University (Second Amendment) Bill, 2020 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.